श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, कोलकाता

SyamaPrasadMookerjeePort,

Kolkata

एसएमपी, कोलकाता के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए उपयोगी पुस्तिका

A HANDBOOK FOR RETIRING EMPLOYEES OF SMP, KOLKATA

<u>एसएमपी, कोलकाता के सेवानिवृत्तकर्मचारियों के लिए उपयोगी पुस्तिका</u>

1.**पेंशन के लिए पात्र कौन है?**

- एसएमपी, कोलकाता के ऐसे कर्मचारी जिन्होंने दिनांक 01.01.2004 से पहले पेंशन सेवा में पदभार ग्रहण किया हो ।
- दिनांक 01.01.1986 को अंशदायी भविष्य निधि (सीपीएफ) सेवा के लाभार्थी कर्मचारी के अलावा ऐसे कर्मचारी जो इसके बाद सीपीएफ योजना को जारी रखने के लिए इसका चयन किए हों ।
- एक कर्मचारी जिसे बर्खास्त या सेवा से हटा दिया जाता है, वह पेंशन का हकदार नहीं होता।
- यदि कर्मचारी, बर्खास्तगी/हटाने के बाद, सेवा में बहाल किया जाता है तो उसकी पिछली सेवा अवधि, पेंशन के लिए मान्य होती है, हालांकि बहाली और बर्खास्तगी/हटाने के बीच की अवधि इस उद्देश्य के लिए मान्य नहीं होगी ।
- सेवा से त्यागपत्र की स्थिति में पिछली सेवा, पेंशन के लिए मान्य नहीं होती ।

2. **आप पेंशन कब प्राप्त कर सकते हैं?**

- अनिवार्य सेवानिवृत्ति (अधिवर्षिता) की आयु प्राप्त करने के पश्चात पेंशन देय होती है या कुछ परिस्थितियों में इस आयु से पहले भी देय होती है।
- सीसीएस (पेंशन) नियमों के नियम 48 और 48ए के तहत अर्हता सेवा के 20 वर्ष पूरा करने के बाद या सेवानिवृत्ति की आयु से पहले नियमों में निर्धारित अन्य शर्तों के अधीन एफआर 56(के) के तहत 50/55 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर भी पेंशन देय है ।
- सेवा में रहते समय या सेवानिवृत्ति के बाद किसी कर्मचारी की मृत्यु पर परिवार के किसी पात्र सदस्य को पारिवारिक पेंशन देय होती है ।
- सीसीएस (पेंशन) नियमों के नियम 54 के उप-नियम 2(बी) के तहत अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन (वृद्धावस्था पेंशन) देय होती है ।

3. पेंशन के प्रकार:

सीसीएस (पेंशन) नियमों, 1972 के तहत अधोलिखित पेंशन के वर्ग हो सकते हैं:

- सेवानिवृत्ति पेंशन
- अवकाश प्राप्त पेंशन
- अशक्तता पेंशन
- क्षतिपूरक पेंशन
- अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन या अनुकंपा भत्ता

4. **सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी को अपने पेंशन कागजात/ दावों को समय पर तैयार करने हेतु कुछ आवश्यक बातें ।**

4.1 सेवा के दौरान सेवानिवृत्त कर्मचारी/ या संबंधित विभाग/ प्रभाग को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि

- उसके परिवार का विवरण अद्यतन है ।
- सभी नामांकनों को अद्यतन रखा गया है: कर्मचारी के नामांकन के अभाव में उसकी मृत्यु की स्थिति में उसे देय राशि प्राप्त करने के लिए, एसएमपी, कोलकाता बकाया भुगतान करने में असमर्थ हो जाता है और परिवार के सदस्यों को परेशानी का सामना करना पड़ता है ।
- कर्मचारी के संबंधित विभाग के प्रमुख (केडीएस में)/ (एचडीसी में) पीएंडआईआरप्रभाग ने सेवा का सत्यापन किया है । इस बात की भी पुष्टि की है कि सेवा में कोई कमी/ अंतराल नहीं है ।
- लीव रिकॉर्ड अपडेट रखा गया है ।

4.2 **पेंशन के लिए पात्र सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा फार्म भरते समय इन बिंदुओं को ध्यान में रखा जाए।**

पेंशन के लिए बैंक का चयन सावधानी से करें- कृपया बैंक की निकटतम शाखा जहाँ आसानी से पहुंचा सके। उम्र बढ़ने पर यह मददगार साबित होगा।

- पीपीओ बुक के अनुसार नॉमिनी होने वाले पति या पत्नी के साथ संयुक्त खाता अनिवार्य है। संयुक्त खाते में कोई अन्य व्यक्ति नहीं होगा। यह महत्वपूर्ण है कि पेंशनभोगी की मृत्यु के बाद पारिवारिक पेंशन को मंजूरी देते समय पति या पत्नी को किसी भी कठिनाई का सामना नहीं न करना पड़े, क्योंकि पेंशन से पारिवारिक पेंशन में स्विच ओवर करने की प्रक्रिया काफी सरल है । तथापि, मौजूदा नियमों के अनुसार संभावित विसंगतियों/ विवादों से बचने के लिए पुलिस सत्यापन आवश्यक है।
- प्राथमिक खाताधारक पेंशनभोगी होना चाहिए न कि कोई और ।
- निधन के बाद खाते के संयुक्त धारक के रूप में कोई और नाम नहीं जोड़ा जा सकता है, यानी बैंक खाता जीवित पति या पत्नी के नाम पर ही रहेगा।
- पेंशनभोगी के बैंक खाते में एक बार पेंशन जमा हो जाने के बाद एसएमपी, कोलकाता और बैंक/ एलआइसीआई की देनदारी समाप्त हो जाती है । आगे कोई देनदारी पैदा नहीं होती, भले ही पति/ पत्नी गलत तरीके से राशि का आहरण करता हो।
- चूंकि पेंशनभोगी/ परिवार पेंशनभोगी के जीवन के दौरान ही पेंशन देय होती है, इसलिए उसकी मृत्यु की सूचना जल्द से जल्द किसी भी स्थिति में निधन के एक महीने के भीतरएसएमपी, कोलकाता को देनी होगी ताकि एसएमपी, कोलकाता, को इसकी पूरी जानकारी हो जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि बैंक/ एलआइसी पेंशनभोगी की मृत्यु के बाद पति या पत्नी के साथ संयुक्त खाते में मासिक पेंशन जमा करना बंद कर दें । फिर भी, यदिकोई राशि को गलत तरीके से संयुक्त खाते में जमा की गई हो, तो यह पेंशनभोगी/ पति या पत्नी द्वारा व्यक्तिगत या संयुक्त रूप से धारित संयुक्त खाते और/ या किसी अन्य खाते से वसूली जाएगी । कानूनी उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी, निष्पादक आदि भी इस राशि, जिसे गलत तरीके से संयुक्त खाते में जमा किया गया है, को वापस करने के लिए उत्तरदाये होंगे । पेंशनभोगी/परिवार पेंशनभोगी इस आशय की गारंटी एसएमपी, कोलकाता को प्रस्तुत करेंगे।
- पेंशन बकाया (नामांकन) नियम 1983 का भुगतान पेंशनभोगी के पति या पत्नी के साथ संयुक्त खाते पर भी लागू होगा ।इसका तात्पर्य यह है कि यदि इस नियम के नियम 5 और 6 के अनुसार यदि यह “स्वीकृत नामांकन” है, तो नियमों में उल्लिखित बकाया, नामांकित व्यक्ति को देय होगा ।

- परिवार के सभी सदस्यों का नाम संबंधित विभाग से रिटायर होने वाले संबंधित कर्मचारी (केडीएस में)/(एचडीसी में) पीएंडआईआर; प्रभाग के संबंधित विभागाध्यक्ष के माध्यम से फार्म एल में दिया जाना चाहिए, यदि विवाहित पुत्र और विवाहित पुत्रियां भी परिवार का हिस्सा हैं तो फॉर्म एल में भी इसका उल्लेख किया जाना चाहिए ।
- पत्राचार का सही पता स्पष्ट और स्टीक रूप से फॉर्म एल में इंगित किया जाना चाहिए ।
- वास्तविक पेंशन लाभार्थी को पोर्टल में अपने संबंधित खाते में अपना मोबाइल नंबर/ ईमेल अद्यतन (अपडेट) करना होगा। व्यक्तिगत ईमेल पते को प्राथमिक ईमेल पते के रूप में उल्लेख किया जाना चाहिए।
- बैंक खाते और सेवा रिकॉर्ड में नाम बेमेल नहीं होने चाहिए । उदाहरण के तौर पर अगर सर्विस रिकॉर्ड में नाम नरेश कुमार शर्मा का है तो बैंक खाते में भी यह वही होना चाहिए (न कि एन के. शर्मा ।)
- रिटायर कर्मचारी द्वारा अपलोड/चिपकाई गई फोटो स्पष्ट होनी चाहिए । सेल्फी/धुंधली तस्वीर लगाने की अनुमति नहीं है ।
- परिवार के सदस्यों का नाम और जन्म तिथि सही होनी चाहिए और सेवा अभिलेखों और शैक्षिक प्रमाण पत्र/ आधार कार्ड/ ड्राइविंग लाइसेंस आदि जैसे अन्य सहायक दस्तावेज से पूरी तरह से मिलान किया जाना चाहिए । जन्म तिथि के लिए स्वीकार दस्तावेज का क्रम (1) शैक्षिक प्रमाण पत्र, (2) पैन कार्ड, (3) आधार कार्ड, (4) ड्राइविंग लाइसेंस होगा ।
- रिटायर कर्मचारी को 25.02.2020 को बोर्ड द्वारा अनुमोदित अतिरिक्त लाभों के साथ-साथ "सीपीटी सेवानिवृत्त कर्मचारी (अंशदायी आउटडोर और इंडोर चिकित्सा लाभ) योजना, 1997 के तहत चिकित्सा सुविधा का लाभ उठाने के लिए आवेदन करने से पहले उचित रूप से विचार करना चाहिए।
- पेंशन का संराशीकरण वैकल्पिक है और इसलिए एक व्यक्तिपरक अवधारणा है । रिटायर कर्मचारी को अपनी आवश्यकता के अनुसार मूल पेंशन के 40% तक पेंशन संराशीकरण के संबंध में स्वयं निर्णय लेना चाहिए।
- पेंशन फॉर्म देर से जमा करने से बचना चाहिए । इससे पेंशन भुगतान शुरू होने में देरी हो सकती है।

5. सभी हितधारकों के संदर्भ में **पेंशन मामलों के रिकोर्ड तैयार करने के लिए रोड मैप/समय सीमा इस प्रकार हैं:**

5.1 **सेवानिवृत्ति से पहले 9 महीने सेवानिवृत्त कर्मचारी का दायित्व:**

- बैंक खाता विवरण के साथ आप्शन फॉर्म भरें जो शाखा प्रबंधक द्वारा विधिवत प्रमाणित होने के साथ-साथ बैंक पास-बुक के मुख्य पृष्ठ पर संयुक्त फोटो लगी हो जो पीपीओ में दी गई फोटो से पूरी तरह से मिलनी चाहिए।
- फॉर्म एल में परिवार का विवरण, अविवाहित बेटे और विवाहित बेटियां भी परिवार का हिस्सा हैं तो फॉर्म 3 में इसका उल्लेख किया जाना चाहिए ।
- ग्रेच्यूटी, पीएफ/ एनपीएस, लीव सैलरी, पेंशन का परिवर्तित मूल्य एवं बकाया पेंशन (फार्म - ई) हेतु नामांकन फार्म ।
- **सेवानिवृत्त कर्मचारी** के साथ पति या पत्नी के फोटो की पहचान प्रमाणिकता जो संबंधित विभागीय/ प्रभाग प्रमुख द्वारा विधिवत प्रमाणित हो ।
- बैंक के लिए वचन प्रपत्र ।

5.2 सेवानिवृत्ति से कम से कम 4 महीने पहले:- विधिवत भरे एवं कार्रवाई किए गए पेंशन कागजात (फार्म पी.एफ.7, पिछले 10 माह के वेतन ब्यौरा संबंधित फॉर्म (कोड 44040052), प्रविष्टियों की जाँच सूची (कोड 44040053), पेंशन के लिए सिफारिश फार्म (कोड 44040055), पेंशन में रूपातंरण की अनुमति फार्म (कोड 44040049 और 44040054) सरकारी पेंशन योजना के अनुसार पेंशन हेतु वैकल्पिक फॉर्म, [केवल वर्ग - तृतीयऔर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए (फॉर्म कोड (कोड 44040036), छुट्टी प्रमाणिकता फार्म (कोड 44040056), (केडीएस में) /पीएंडआईआर (एचडीसी में) के संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष द्वारा विधिवत प्रमाणित कर्मचारी की लीव शीट्स; एवं (केडीएस में) /पीएंडआईआर (एचडीसी में) के संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष द्वारा सतर्कता अनापत्ति पत्र पेंशन की अनुमति देने वाले अधिकारी को भेजा जाए जिससे एसएमपी, कोलकाता के बकाया राशि सेवानिवृत्त कर्मचारी की ग्रेच्यूटी से वसूली जा सके।

5.3 **सेवानिवृत्त कर्मचारी** द्वारा सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद पीपीओ की प्रति पीएओ द्वारा सेवानिवृत्त कर्मचारी को दी जाएगी ।

5.4 ग्रेच्यूटी, पीएफ और लीव सैलरी के दावों पर कार्रवाई एक साथ की जाएगी। आम तौर पर ग्रेच्यूटी का भुगतान सेवानिवृत्ति के दिन के बाद वाले पहले कार्य दिवस पर किया जाता है, पीएफ, पेंशन तथा छुट्टी वेतन का भुगतान सेवानिवृत्ति के बाद एक सप्ताह के भीतर किया जाता है ।

(यह सूचना सेवानिवृत्ति के लाभ से संबंधित है)

6. **आपके सेवानिवृत्ति के लाभ क्या हैं**

सेवानिवृत्ति लाभ में निम्नलिखित शामिल हैं: -

- पेंशन या पारिवारिक पेंशन की न्यूनतम गारंटी 10,450 रुपये प्रति माह है। (01.01.2017 से)
- एसएमपी, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (पेंशन) विनियम, 1988 के नियमन 25 के संदर्भ में अशक्तता पेंशन पर सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी के संबंध में अशक्तता पेंशन की राशि पारिवारिक पेंशन की राशि से कम नहीं होगी।
- मूल पेंशन के 40% से अधिक पेंशन के कम्यूटेशन न होने के परिणामस्वरूप एकमुश्त भुगतान।
- दिनांक 01.01.2017 से सेवानिवृत्ति / मृत्यु ग्रेच्यूटी की अधिकतम राशि रु 20.00 लाख है (वर्ग III और IV के कर्मचारियों के लिए) एवं दिनांक 29 मार्च, 2018 से या शिपिंग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा लिए गए निर्णयानुसार ।
- मूल्य वृद्धि के संदर्भ में निर्धारित दरों पर पेंशन / पारिवारिक पेंशन पर महंगाई राहत (यह सरकार के अधीन रोजगार / पुन: रोजगार के दौरान निलंबित रहती है)

(10 वर्ष से कम की योग्यता सेवा के लिए केवल सेवा ग्रेच्यूटी देय है)

7. **पेंशन/सेवानिवृत्ति लाभ कैसे प्राप्त किया जाता है ?**

7.1 **सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए**

7.1.1**सेवा ग्रेच्यूटी**

- ऐसे कर्मचारी जिनकी कुल योग्यता सेवा 10 साल से कम है एवं जो पांच साल की योग्यता सेवा पूरी कर ली है केवल वही **सेवा ग्रेच्यूटी** प्राप्त करने के हकदार हैं (पेंशन के एवज में) ।
- योग्यता सेवा की 8वीं छमाही अवधि तक प्रत्येक छह की सेवा अवधि पूरा करने के लिए @ 1/2 माह का वेतन और उसके बाद छह मासिक अवधि के लिए एसएमपी, कोलकाता के पेंशन विनियमों के प्रावधानों के अनुसार गणना की जाएगी ।
- इस उद्देश्य के परिलब्धियों में सेवानिवृत्ति के समय डीए स्वीकार्य होता है ।
- न्यूनतम राशि की कोई सीमा नहीं है।
- पेंशन के एवज में एक बार एकमुश्त भुगतान होता है एवं यह अलग है जिसका भुगतान इसके बाद इस भाग मे विहित सेवानिवृत्ति ग्रेच्यूटी से अलग किया जाता है ।

7.1.2 **पेंशन**

- यदि कोई कर्मचारी नियमों के तहत सेवानिवृत्त होता है और उसके पास न्यूनतम 10 वर्ष की योग्यता सेवा पूरी कर ली है, तो उसके पेंशन की गणना अंतिम वेतन के @ 50% की दर या औसत परिलब्धियां (यानी आपकी सेवा के अंतिम 10 महीनों के दौरान आपके द्वारा आहरण किए गए मूल वेतन का औसत) जो आपके लिए अधिक फायदेमंद है के आधार पर की जाती है ।
- न्यूनतम पेंशन की गारंटी 10,450 रुपये (दस हजार चार सौ पचास रुपये मात्र) प्रतिमाह है। इसके अलावा उस पर महंगाई राहत भी देय है।
- अधिकतम पेंशन 1,85,000/-रुपये (एक लाख पचासी हजार रुपये मात्र) प्रति माह है। इसके अलावा, महंगाई राहत भी उस पर देय है ।
- मृत्यु के दिन तक पेंशन देय है ।

7.1.3 **पेंशन का संराशीकरण (कम्यूटेशन)**

- पेंशन को कम्यूट करने का विकल्प एकमुश्त भुगतान में 40% से अधिक नहींहै।
- यदि वह सेवानिवृत्ति के एक वर्ष के भीतर इस विकल्प का प्रयोग करता है तो उसे किसी भी चिकित्सा परीक्षा से गुजरने की आवश्यकता नहीं है ।

- **संराशीकरण (**कम्यूटेशन) पर एकमुश्त देय की गणना सीसीएस (पेंशन का कम्यूटेशन) नियमों में दिए गए कम्यूटेशन टेबल के अनुसार की जाती है ।
- कम्यूटेड के हिस्से को कम करके मासिक पेंशन तय की जाएगी ।
- लेकिन, महंगाई राहत पात्रता की गणना पूर्ण मूल पेंशन के आधार पर की जाएगी ।(यानी कम्यूटेड के हिस्से सहित) ।
- पेंशन के कम्यूटेड हिस्से को कम्यूटेशन की तारीख से 15 वर्ष की समाप्ति के बाद पेंशनभोगी के पेंशन में पुर्नस्थापित किया जाएगा ।
- पेंशनभोगी की मृत्यु के पश्चात कम्यूटेड हिस्से को पारिवारिक पेंशन से नहीं काटा जाता है ।

7.1.4 **सेवानिवृत्ति ग्रेच्यूटी**

- एकमुश्त लाभ प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि 5 साल की योग्यता सेवा और सेवा ग्रेच्यूटी /पेंशन की योग्यता प्राप्त हो ।
- सेवानिवृत्ति ग्रेच्यूटी की गणना योग्यता सेवा की प्रत्येक पूर्ण छह मासिक अवधि के लिए 1/4 महीने की परिलब्धियों की दर से की जाती है जो मासिक परिलब्धियों का अधिकतम 16½ गुना होगी।
- इन परिलब्धियों में सेवानिवृत्ति के समय डीए स्वीकार्य होगा ।
- किसी न्यूनतम राशि गारंटीकृत नहीं है ।
- अधिकतम सेवानिवृत्ति ग्रेच्यूटी देय 20.00 रूपये देय होती है जो कुल मासिक परिलब्धियों का 16½ गुना तक सीमित होगी ।

7.1.5**महंगाई राहत**

- महंगाई के एवज में मुआवजे के रूप में महंगाई राहत की स्वीकृत दी जाती है।
- इस देय राशि का निर्धारण सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों से संचालित होगा ।

- सभी पेंशनभोगी, चाहे उनकी पेंशन की राशि कुछ भी हो, इस लाभ के पात्र हैं (पुन: रोजगार वाले को छोड़कर) ।
- पेंशन के साथ-साथ महंगाई राहत के संबंध में कोई अधिकतम सीमा नहीं है जो पेंशनभोगी प्राप्त कर सकता है ।
- जब कर्मचारी और उसके पति/ पत्नी दोनों ही पेंशनभोगी हैं, परंतु उनके पति/ पत्नी की मृत्यु के बाद जीवित रहने वाले व्यक्ति को किसी भी पेंशन पर महंगाई राहत को छोड़ना होगा ।

7.2 **परिवारों के लिए**

7.2.1 **मृत्यु** ग्रेच्यूटी

- यदि व्यक्ति की मृत्यु सेवा में रहते हुए हो जाती है तो उनके विधवा/विधुर या कर्मचारी का नामांकित व्यक्ति मृत्यु ग्रेच्यूटी प्राप्त करने का हकदार है।
- इस उद्देश्य के लिए मृतक कर्मचारी द्वारा योग्यता सेवा की किसी भी न्यूनतम अवधि को पूरा करने की कोई आवश्यकता नहीं है ।
- **ग्रुप -सी और डी कर्मचारियों के लिए इसकी पात्रता निम्नानुसार निर्धारित होगा:**

योग्यता सेवा की अवधि	**मृत्यु ग्रेच्यूटी की दर**
1 वर्ष से कम	मासिक परिलब्धियों का 2 गुणा
1 वर्ष से अधिक, 5 वर्ष से कम	मासिक परिलब्धियों का 6 गुणा
5 वर्ष या उससे अधिक लेकिन 11 वर्ष से कम	मासिक परिलब्धियों का 12 गुणा
11 साल से अधिक, 20 साल से कम	मासिक परिलब्धियों का 20गुणा
20 साल या उससे अधिक	पूरी की गई योग्यता सेवा की प्रत्येक छह मासिक अवधि के लिए परंतु अधिकतम 33 गुणा तक ।

योग्यता सेवा की अवधि	**मृत्यु ग्रेच्यूटी की दर**

1 वर्ष से कम	मासिक परिलब्धियों का 2 गुणा
1 वर्ष से अधिक, 5 वर्ष से कम	मासिक परिलब्धियों का 6 गुणा
5 वर्ष या उससे अधिक लेकिन 11 वर्ष से कम	मासिक परिलब्धियों का 12 गुणा
20 साल या उससे अधिक	पूरी की गई योग्यता सेवा की प्रत्येक छह मासिक अवधि के लिए परंतु अधिकतम 33 गुणा तक ।

* इस उद्देश्य के लिए परिलब्धियों में **सेवानिवृत्ति** के समय स्वीकार्य महंगाई भत्ता शामिल है।
* मृत्यु ग्रेच्यूटी देय राशि वर्ग-सी और डी कर्मचारियों के लिए बीस लाख रुपये एवं वर्ग-1 और 2 कर्मचारियों के लिए दस लाख रुपये से अधिक नहीं हो सकती ।

7.2.2 **परिवारिक पेंशन**

- यदि कर्मचारी की मृत्यु सेवा में रहते हुए या सेवानिवृत्ति के बाद होती है तो उनकी मृत्यु की तारीख से ही उनके विधवा / विधुर या परिवार के नामांकित सदस्य के लिए परिवारिक पेंशन देय हो जाती है ।
- यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु एक वर्ष की निरंतर सेवा के पूरा होने से पहले होती है तो मृत कर्मचारी के पास या तो एक वर्ष की निरंतर सेवा होनी चाहिए या एसएमपी, कोलकाता की सेवा में नियुक्ति के समय एसएमपी, कोलकाता के चिकित्सक द्वारा चिकित्सकीय रूप से आरोग्य घोषित किया गया होना चाहिए।
- परंतु उस स्थिति को छोड़कर जहां एक से अधिक विधवा (भारत के कानून के तहत कानूनी और वैध) या जुड़वां बच्चेपीछे रह गए हो कर्मचारी की मृत्यु के पश्चात सामान्य रूप से एक समय में परिवार के केवल एक ही सदस्य के लिए परिवारिक पेंशन देय होती है ।
- न्यूनतम गारंटी राशि रु. 10,450/- प्रति माह (दस हजार चार सौ पचास रूपये मात्र) (दिनांक 01.01.2017 से) के अलावानिर्धारित दर के अनुसार महंगाई राहत भी देय है।

• इसकी पात्रता की गणना नीचे दी गई है:-

मूल वेतन	फैमिले पेंशन की मासिक राशि
सभी स्तरों पर	दिनांक 01-01.2017 से मूल वेतन का 30% यान्यूनतम राशि रु. 10,450/- प्रति माह

- यदि सरकारी कर्मचारी की मृत्यु सेवारत रहते हुए होती है तो मृत्यु की तिथि के बाद की तारीख से दस वर्ष की अवधि तक परिवारिक पेंशन बढ़ी हुई दर पर देय होती है । पेंशनभोगी की मृत्यु के क्षेत्र में, बढ़ी हुई दर पर परिवारिक पेंशन सात वर्ष की अवधि तक या पेंशनभोगी जब 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लिया होता, जो भी पहले हो, तक देय होगी।
- पेंशनकी तरहपरिवारिक पेंशन भी प्राप्तकर्ता की मृत्यु के दिन तक देय होती है ।
- मृत सेवानिवृत्त कर्मचारी के पति या पत्नी के निधन के बाद, उनके बेटे/बेटी के जीवन यापन के लिए जो किसी विकार/मन की विकलांगता से पीड़ित है या शारीरिक रूप से अपंग/विकलांग है जीविकोपार्जन करने में असमर्थ हों को परिवारिक पेंशन देय है । आश्रित, तलाकशुदा, विधवा और अविवाहित बेटी, आश्रित माता-पिता, आश्रित विकलांग भाई- बहन को वरिष्ठता के अनुसार किसी एक को कुछ शर्तों की पूर्ति के बाद जीवन यापन करने के लिए परिवारिक पेंशन देय है ।

7.2.3(ए) परिवारिक पेंशन के संबंध में आसान और उचित आकलन के उद्देश्य से कर्मचारी द्वारा सेवा ज्वाइन करने के तुरंत बाद निम्नलिखित औपचारिकताएं पूरी की जानी चाहिए:-

- जैसे ही कोई व्यक्ति सरकारी सेवा में प्रवेश करता है, उसे अपने परिवार के सदस्यों का विवरण बायो-डाटा फार्म में भरकर एचडीसी, पीएंडआईआर प्रभाग के प्रमुख या केडीएस से संबंधित विभागाध्यक्ष जहां कर्मचारी काम करता है कोप्रस्तुत करना होता है।
- यदि सरकारी कर्मचारी के परिवार में कोई नहीं है, और जैसे ही उसके परिवार में कोई सदस्य बढ़ता है उन सदस्यों का विवरण बायो-डाटा फॉर्म में प्रस्तुत करना होगा ।
- एक निःसंतान विधवा को पुनर्विवाह पर भी पारिवारिक पेंशन देय होगी, यदि उसकी आय अन्य सभी स्रोतों से महंगाई राहत सहित न्यूनतम पारिवारिक पेंशन की राशि, से कम है ।

(बी) (ए) **परिवार की परिभाषा:-**

कर्मचारी के लिए परिवार से संबंधित प्रावधान विनियम 34,35 और 36 में इस प्रकार है,

(i) पुरुष कर्मचारी के मामले में- पत्नी या पत्नियों (न्यायिक रूप से अलग हुई पत्नी या पत्नियों सहित),

(ii) महिला कर्मचारी के मामले में- पति (न्यायिक रूप से अलग पति सहित),

(iii) सौतेले बेटों और गोद लिए गए बेटों सहित,

(iv) सौतेली बेटियों और गोद ली बेटियों सहित अविवाहित बेटियों,

(v) सौतेली बेटियाँ और गोद ली हुई बेटियों सहित विधवा बेटियों,

(vi) दत्तक माता-पिता सहित पिता के मामले में, जिनके व्यक्तिगत कानून गोद लेने की अनुमति देता है ।

(vii) दत्तक माता-पिता सहित माता के मामले में, जिनके व्यक्तिगत कानून गोद लेने की अनुमति देता है ।

(viii) सौतेले भाइयों सहित जिनकी उम्र अठारह साल से कम हों,

(ix) सौतेली बहनें सहित अविवाहित बहनें और विधवा बहनें,

(x) विवाहित बेटियां, और

(xi) पूर्व मृतक बेटे के बच्चे ।

(सी**) परिवारिक पेंशन प्रदान करने के उद्देश्य से परिवार को इस प्रकार वर्गीकृत किया जाएगा।**

- **श्रेणी-1:**

क) विधवा या विधुर, मृत्यु या पुनर्विवाह की तारीख तक, जो भी पहले हो ।

ख) बेटा/बेटी (विधवा बेटी सहित), उसकी शादी/पुनर्विवाह की तारीख तक या वह जिस तारीख को कमाना शुरू करता है या 25 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो ।

- **श्रेणी-II:**

क) अविवाहित/विधवा/तलाकशुदा बेटी, विवाह/पुनर्विवाह(जो उक्त श्रेणी-1 में नहीं आती हैं) वे जब तक कमाना शुरू नहीं करती या मृत्यु की तारीख तक, जो भी पहले हो ।

ख) ऐसे कर्मचारी जिनके माता पिता पूरी तरह उन पर निर्भर थे जब वह जीवित था/थी बशर्ते कर्मचारी के मृत्यु उपरांत उनके पीछे न ही उनकी विधवा और न ही उनके बच्चे हो । परिवारिक पेंशन उनके आश्रित माता-पिता (माता को पिता से पहले प्राथमिकता मिलेगी), अविवाहित/तलाकशुदा/विधवा बेटी को मृत्यु की तारीख तक मिलेगी ।

ग) आश्रित विकलांग भाई बहन को परिवारिक पेंशन जारी रहेगी ।

- श्रेणी-2 में अविवाहित/विधवा/तलाकशुदा बेटियों एवं आश्रित माता-पिता और आश्रित विकलांग भाई-बहन को परिवारिक पेंशन तभी देय होगी जब श्रेणी-1 में परिवार के अन्य पात्र सदस्य या कोई विकलांग बच्चा परिवारिक पेंशन प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं रह गया हो । संबंधित श्रेणियों के बच्चों को परिवारिक पेंशन का अनुदान उनकी जन्मतिथि के क्रम में देय होगा और उनमें से छोटे बच्चे परिवारिक पेंशन के लिए पात्र नहीं होंगे जब तक कि बच्चा उसके ऊपर का उस श्रेणी में परिवारिक पेंशन प्रदान करने के लिए अयोग्य नहीं हो गया हो ।

- परिवारिक पेंशन जहाँ एक से अधिक विधवाओं को देय है, उस क्षेत्र में विधवाओं को परिवारिक पेंशन का भुगतान समान शेयरों में किया जाएगा ।

- विधवा की मृत्यु उपरांत, परिवारिक पेंशन उसके योग्य बच्चे को देय होगी :-

* जबकि ऐसी विधवा जिसका कोई बच्चा न हो तो परिवारिक पेंशन का उसका हिस्सा लैप्स नहीं होगा बल्कि अन्य विधवाओं को समान शेयरों में देय होगायदि कोई एकमात्र विधवा हो तो उसे पूर्ण पेंशन देय होगी ।

यह भी प्रावधान किया गया है कि ऐसे बच्चे या बच्चों या विधवा या विधवाओं को परिवारिक पेंशन आसानी से देय होंगे एवंऐसे हिस्से लैप्स नहीं होंगे, बल्कि अन्य विधवा या विधवाओं या बच्चे या बच्चों अन्यथा योग्य पात्र कोसमान हिस्से में देय होगा, यदि कोई एक मात्र विधवा या बच्चा हो तो उसे पूर्ण पेंशन दिया जाएगा ।

यदि मृतक कर्मचारी या पेंशनभोगी अपने पीछे किसी विधवा को छोड जाता है लेकिन उसकी दूसरी पत्नी की मृत्यु हो जाती है और वह अपने पीछे किसी बच्चे को छोड जाती है तो इस दशा में वह बच्चा पारिवारिक पेंशन के उस हिस्से का हकदार होगा जो उसकी मां को कर्मचारी या पेंशनभोगी की मृत्यु के समय जीवित रहने पर मिलती ।

* * साथ ही, ऐसे बच्चे या बच्चों को परिवारिक पेंशन के हिस्से या हिस्सों का देय बंद करने के संबंध में ऐसे हिस्सा या हिस्से लैप्स नहीं होंगे, बल्कि अन्य विधवा या विधवाओं और बच्चे या बच्चों अन्यथा योग्य किसी पात्र कोसमान हिस्सों में देय होगा, यदि कोई एक मात्र विधवा या बच्चा हो तो उसे पूर्ण हिस्सा दिया जाएगा ।

- परिवारिक पेंशन/ बढ़ी हुई परिवारिक पेंशन के उद्देश्य से सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 54 लागू होगा ।
- उल्लेखित पेंशन का समेकन लेखा परीक्षा के अधीन है ।
- यदि किसी पेंशनर को पेंशन के इस समेकन अतिरिक्त भुगतान हो जाता है तो इसकी जानकारी मिलते ही इसकी वसूली संबंधित पेंशनभोगी से की जाएगी ।

7.2.4 **महंगाई राहत**

- पारिवारिक पेंशनभोगियों को महंगाई राहत का भुगतान उसी दर पर और समान शर्तों पर किया जाएगा जो पेंशनभोगियों के लिए किया जाता है ।

8. **राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों की मृत्यु/ बर्खास्तगी पर परिवारिक पेंशन**

ए. वित्त मंत्रालय (आर्थिक मामलों के विभाग) के अधिसूचना संख्या 5/7/2003-ईसीबीएवं पीआरदिनांक 22.12.2003 द्वारा केंद्र सरकार सिविल कर्मचारियों के लिए दिनांक 01.01.2004 को राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) की शुरुआत की गई थी । एसएमपी, कोलकाता की सेवा में दिनांक 01.01.2004 नियुक्त होने वाले सभी कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना अनिवार्य है। तदनुसार, कोलकाता पत्तन न्यास के कर्मचारी (पेंशन) विनियम, 1988 (समय-समय पर इसके संशोधनों के साथ और सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के कुछ प्रावधान जो पहले से अपनाए गए/अभ्यासत: कुछ प्रावधान कर्मचारियों पर 31-12-2003 या उससे पहले नियुक्त किए गए एसएमपी, कोलकाता के कर्मचारियों पर लागू होंगे ।

बी. डीओपी एंड पीडब्ल्यू के का. ज्ञा. सं.- 7/5/2012-पीएंडपीडब्ल्यू(एफ/बी) दिनांक 26.08.2016 द्वारा एसएमपी, कोलकाता के कर्मचारियों को जो एन पी एस के अंतर्गत आते हैं को

सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के तहत समान नियमों और शर्तों पर सेवानिवृत्त ग्रेच्यूटी या मृत्यु ग्रेच्यूटी में वृद्धि की गयी है ।

9. **पेंशन का दावा कैसे करें**

ए. पेंशन के दावों के मामले में हल्दिया गोदी परिसर के पीएंडआईआर प्रभाग एवं कोलकाता डॉक सिस्टम में सेवानिवृत्त कर्मचारी के संबंधित विभाग द्वारा कार्रवाई की जाती है । ऐसे विभाग एवं/ या प्रभाग के संबंधित प्राधिकारी कर्मचारी की मृत्यु के परिणामस्वरूप पात्रता का निपटारा करने के लिए भी उत्तरदायी है ।

बी. संबंधित विभाग/प्रभाग द्वारा पेंशन दावों को मंजूरी देने के लिए प्रक्रिया सेवानिवृत्ति की तारीख से कम से कम 4 महीने पहले शुरू की जानी होती है।

सी. सेवानिवृत्ति की तारीख से कम से कम 9 (नौ) महीने पहले, कर्मचारियों को कुछ जानकारी (जैसे- पत्नी/पति के साथ संयुक्त फोटो, परिवारिक विवरण, बैंक का नाम जिसके माध्यम से वे अपनी पेंशन आदि आहरण करेंगे) बैंक विकल्प फार्म में संबंधित कार्यालय को प्रस्तुत करने होते हैं

डी. दावों का समय पर निपटारा सुनिश्चित करने के लिए संबंधित कार्यालय के साथ कर्मचारियों कासहयोग महत्वपूर्ण है। उपरोक्त संबंधित कार्यालयफार्म पीएफ 7 (कोड 44040052) पिछले 10 महीने के वेतन का ब्यौरासहितप्रविष्टियों की जाँच सूची (कोड 44040053), पेंशन के लिए सिफारिश प्रपत्र (कोड 440400055), पेंशन के कम्यूटेशन की अनुमति प्रपत्र (कोड 440400049 एवं 440400054) , सरकारी पेंशन योजना के अनुसार पेंशन के लिए विकल्प का फॉर्म [केवल वर्ग-तृतीयऔर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए (प्रपत्र (कोड 44040036), लीव सर्टिफिकेशन प्रपत्र (कोड 44040056), संबंधित विभागाध्यक्ष (केडीएस में) /पीएंडआईआर (एचडीसी में) द्वारा कर्मचारी की लीव शीट्स विधिवत प्रमाणित एवं संबंधित कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तारीख से कम से कम 2 महीने पहले सतर्कता क्लीयरेंस आदि उक्त पेंशन कागजात एचडीसी और केडीसी के मामले में क्रमश: महाप्रबंधक (वित्त) एवं एफएएंडसीएओ के कार्यालय को भेजें ।

ई. साधारणत: परिवारिक पेंशन भी पति या पत्नी को पेंशन के रूप में उसी समय स्वीकृत की जाती है और पीपीओ में दर्शाई जाती है । पेंशनर की मृत्यु के बाद ही परिवारिक पेंशन

निकाली जाती है। पेंशन हेतु पति/ पत्नी द्वारा संबंधित कार्यालयको पति या पत्नी का मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति के साथ-साथ पेंशनभोगी का पहचान पत्र और पीपीओ (दोनों मूल रूप में) के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा ।

एफ. पारिवारिक पेंशन जारी रखने के लिए, मृतक पेंशनभोगी के परिवार को भुगतान के लिए पेंशन वितरण प्राधिकरण को जीवन प्रमाण पत्र, गैर-रोजगार प्रमाण पत्र और पुर्नविवाह/विवाह का प्रमाण पत्र संबंधी प्रपत्र (कोड 44010204) प्रस्तुत करना चाहिए, यदि परिवारिक पेंशनभोगी का नाम और परिवारिक पेंशन की राशि पीपीओ में पहले से ही दर्शाई गई है, सभी मामलों में परिवारिक पेंशन हेतु संबंधित विभाग (केडीएस में) /पीएंडआईआर (एचडीसी में) से स्वीकृति लेनी होगी ।

10. **पेंशन का भुगतान कैसे किया जाता है ?**

ए. एसएमपी, कोलकाता के पेंशनभोगियों/ परिवारिक पेंशनभोगियों को मासिक पेंशन का भुगतान एसएमपी, कोलकाता द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकृत किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक के माध्यम से सीधे या एलआइसी के माध्यम से किया जाता है ।

बी. पेंशनभोगी/ परिवारिक पेंशनभोगी को निर्धारित प्रपत्र में एवं वृद्धावस्था पेंशनभोगियों (एचडीसी/केडीएस से सीधे पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों के लिए) या पीपीओ बुक (एलआईसी से सीधे पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों के लिए) के लिए निर्धारित प्रपत्र में पी पी ओ बुक में दिए गए प्रपत्र में हर साल अक्टूबर/ नवंबर महीने में जीवन प्रमाण के माध्यम से अपना अस्तित्व/जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होता है ।

सी. नामांकन/चेक बुक/स्थायी अनुदेश सुविधाएं संबंधित बैंकों के नियमों के अनुसार बैंकों के माध्यम से पेंशन आहरण करने वाले पेंशनभोगियों को प्रदान की गई हैं।

11. **शिकायतों का निवारण**

ए. यदि पेंशन मामलों में कोई शिकायत है, तो पेंशनभोगी/ परिवारिक पेंशनभोगी इसे पेंशन संवितरण अधिकारी के साथ या पेंशन शिकायत प्रकोष्ठ या पेंशन अदालत के माध्यम से हर

छह महीने में केडीएस और एचडीसी, जैसा मामला हो, पेंशन स्वीकृत प्राधिकारी या पेंशन संवितरण प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करसकता है।यदि कोई भी शिकायत होतोनिर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

बी. पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगी पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के एकीकृत शिकायत प्रकोष्ठ और कॉल सेंटर, 8वीं मंजिल, जनपथ भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001, (टोल फ्री नंबर 1800-11-1960) से भी संपर्क कर सकते हैं जो पेंशनभोगियों की शिकायतों के निवारण की सुविधा के लिए मंच प्रदान करता है । विभिन्न केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों/संगठनों द्वारा शिकायतों के तुरंत समाधान और प्रभावी निगरानी के लिए पेंशनभोगी/ परिवारिक पेंशनभोगी केंद्रीकृत वेब आधारित पेंशन शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (सीपीग्रामस) के माध्यम से भी अपनी शिकायत/शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इस प्रणाली का उपयोग कैसे किया जाए, यह www.pensionersportal.gov.inमें पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग की वेबसाइट में बताया गया है ।

12. **गैर-पेंशन सेवानिवृत्ति लाभ**

12.1.सेवानिवृत्त कर्मचारी या उनके परिवार के सदस्य भी निम्नलिखित गैर-पेंशन सेवानिवृत्ति लाभों के हकदार हैं:

- कर्मचारी के बकाया अधिकतम 300 दिनों के अर्जित अवकाश के एवज में अवकाश वेतन के समान राशि ।
- उक्त नगदीकरण हेतु कर्मचारी के बकाया अधिकतम 300 दिनों के अर्जित अवकाश की कमी होने पर अर्द्ध वेतन अवकाश द्वारा पूरा किया जा सकता है ।
- एनसीपीएफ खाते से सामान्य बकाया।
- सेवानिवृत होने परकर्मचारी यात्रा पात्रता (i) स्वयं और परिवार हेतु पात्रता (ii) कंपोजिट ट्रांसफर एंड पैकिंग ग्रांट (सीटीजी) (iii) व्यक्तिगत परिवहन पर शुल्क की प्रतिपूर्ति (iv) केंद्र सरकार के कर्मचारियों हेतु लागू यात्रा शुल्क की प्रतिपूर्ति का हकदार होता है ।

  एसएमपी, कोलकाता और हल्दिया के अस्पतालों में सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं उसके पति या पत्नी हेतु चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध है, इस विषय हेतु एसएमपी, कोलकाता और हल्दिया

में सेवानिवृत्त कर्मचारी द्वारा आवश्यक राशि के भुगतान सहित आवश्यक औपचारिकताओं का अनुपालन करना होगा ।

13. **मासिक पेंशन का भुगतान**

ए. एसएमपी, कोलकाता पेंशनभोगियों को पेंशन का भुगतान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक के माध्यम से या एलआइसी के माध्यम से किया जाता है।

एसएमपी, कोलकाता के सभी सेवानिवृत्त अधिकारियों की पेंशन देयता एसएमपी, कोलकाता की है चाहे वे किसी डॉक सिस्टम (यानी हल्दिया गोदी परिसर एवं कोलकाता डॉक सिस्टम) से सेवा निवृत्त हुए हों ।

14. **एनसीपीएफ में अंशदान और इसका रखरखाव**

एसएमपी, कोलकाता में 01/01/2004 से पहले नियमित रोल पर नियुक्त सभी कर्मचारियों को एसएमपी, कोलकाता के एफएएंडसीएओ के कार्यालय में घोषित गैर-अंशदायी भविष्य निधि (एनसीपीएफ) खाते में हर महीने अपने मूल वेतन का न्यूनतम 8.33% का अंशदान करना होता है। एसएमपी, कोलकाता में 01/01/2004 के बाद नियमित रोल पर नियुक्त सभी कर्मचारियों को एनएसडीएल द्वारा घोषित एनपीएस खाते में हर महीने अपने मूल वेतन का न्यूनतम 12% अंशदान करना होता है । एसएमपी, कोलकाता भी नियमित रोल पर 01/01/2004 को या उसके बाद नियुक्त प्रत्येक कर्मचारी के लिए हर महीने मूल वेतन का 12% अंशदान देता है ।

अन्य सरकारी संगठन/स्वायत्त निकाय/पीएसयू आदि से प्रतिनियुक्ति या अस्थायी आधार परएसएमपी, कोलकाता में नियुक्त होने वाले अन्य कर्मचारियों के लिए, एनसीपीएफ खाता संबंधित सरकार के संगठन/स्वायत्त निकाय/पीएसयू आदि अर्थात अभिभावक संगठनमें संबंधित कार्यालय द्वारा रखा जाता है । एसएमपी, कोलकाता में ऐसे कर्मचारी की सेवा अवधि के दौरान, एनसीपीएफ/सीपीएफ/एनपीएस के लिए लागू योगदान एसएमपी, कोलकाता द्वारा संबंधित संगठन को भेजा जाता है।

15. **सामान्य**

ए. सामान्य पीपीओ एक मूल्यवान दस्तावेज है जिसमें पेंशनभोगी/परिवारिक पेंशनभोगी की सभी महत्वपूर्ण जानकारी होती है। कृपया इसे अपने पास सुरक्षित रखें। इसे किसी अन्य व्यक्ति को नहीं सौंपा जाना चाहिए ।

बी. सभी पेंशन/गेच्युटी और महंगाई राहत केवल भारत में भारतीय रुपयों में देय है।

सी. रकम पूरे रुपये में व्यक्त की जाती है, अंश को अगले उच्च राशि मे रूपांतरित किया जाता है।

डी. कर्मचारी एक ही समय में या एक ही सतत सेवा से एक ही संगठन में दो पेंशन अर्जित नहीं कर सकता है। हालांकि, पेंशन, परिवारिक पेंशन या सैन्य पेंशन के संयोजन के कारण एक से अधिक पेंशन लेने वाले कर्मचारी पर कोई प्रतिबंध नहीं है ।

ई. पेंशन/ परिवारिक पेंशन प्राप्तकर्ता की मृत्यु के दिन तक देय है ।

एफ. संबंधित सेवानिवृत्त कर्मचारी एचडीसी के मामले में पीएंडआईआरप्रभाग एवं केडीएस के संबंधित विभाग में जब पेंशन का प्रसंसकरण हो रहा होता है तो सेवानिवृत्त कर्मचारी अपने जीवन काल के दौरान अपनी पेंशन प्राप्त करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को नामित करने का हकदार है।

जी. पेंशन की स्वीकृति और इसकी निरंतरता पेंशनभोगियों के भविष्य में अच्छे आचरण पर निर्भर है।

एच. लिपिक त्रुटिओं को सही करने के अलावा अंतिम रूप से अधिकृत पेंशन पेंशनभोगी के नुकसान के लिए संशोधित नहीं की जा सकती है ।

आई. पेंशनभोगी के विरुद्ध किसी भी मांग के लिए पेंशन को संलग्न, जब्त आदि नहीं किया जा सकता; न ही कोई पेंशनभोगी पेंशन की प्रत्याशा में कोई अनुबंध कर सकता है।

जे. लेकिन, यदि कोई पेंशनभोगी गंभीर अपराध का दोषी है या गंभीर कदाचार या लापरवाही का दोषी पाया जाता है, तो पेंशन को पूरी तरह से या आंशिक रूप से निर्दिष्ट या अनिश्चित अवधि के लिए रोका या वापस लिया जा सकता है । सरकार और/या एसएमपी, कोलकाता को होने वाले किसी भी आर्थिक नुकसान के लिए पेंशन से वसूली भी की जा सकती है ।

के. एसएमपी बकाया राशि (एसएमपी आवास, अग्रिमों का शेष बकाया, अधिक भुगतान आदि से संबंधित) को उसके ग्रेच्यूटी (सेवा ग्रेच्यूटी के अलावा) और/या महंगाई राहत से समायोजित कर सकता है ।

एल. ग्रुप-ए सेवा/पद से सेवानिवृत्त होने वाले पेंशनभोगियों को सेवानिवृत्ति के बाद के कुछ विशेष रोजगार की स्वीकृति से पूर्व (उदाहरण के लिए सेवानिवृत्ति से एक वर्ष की अवधि समाप्त होने से पहले वाणिज्यिक रोजगार, विदेशी सरकारों के तहत रोजगार आदि) एसएमपी, कोलकाता/ केंद्र सरकार की अनुमति की आवश्यकता होती है । इसका अनुपालन न करने से एसएमपी, कोलकाता के निर्णयानुसार पेंशन रोकी जा सकती है ।

एम. यदि पत्राचार के पते या मोबाइल/फोन नंबर/ईमेल आईडी या पीपीओ बुक आदि में परिवर्तन होता है तो सभी पेंशनभोगियों/ परिवारिक पेंशनभोगियों को पेंशन संवितरण प्राधिकरण को इस विवरण सूचित करना होता है ।

एन. पेंशनभोगियों/ परिवारिक पेंशनभोगियों के परिवार के सदस्य को पेंशनभोगी/ परिवारिक पेंशनभोगी के निधन पर पीपीओ बुक को तत्काल पेंशन संवितरण प्राधिकरण को जमा करना होता है ।

ओ. पेंशनभोगी/ परिवारिक पेंशनभोगी को निर्धारित प्रपत्र में एवं वृद्धावस्था पेंशनभोगियों (एचडीसी/केडीएस से सीधे पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों के लिए) या पीपीओ बुक (एलआईसी से सीधे पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों के लिए) के लिए निर्धारित प्रपत्र में पी पी ओ बुक में दिए गए प्रपत्र में हर साल अक्टूबर/ नवंबर महीने में जीवन प्रमाण के माध्यम से अपना अस्तित्व/जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होता है ।